भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ई–न्यूजलैटर

सितम्बर, 2020

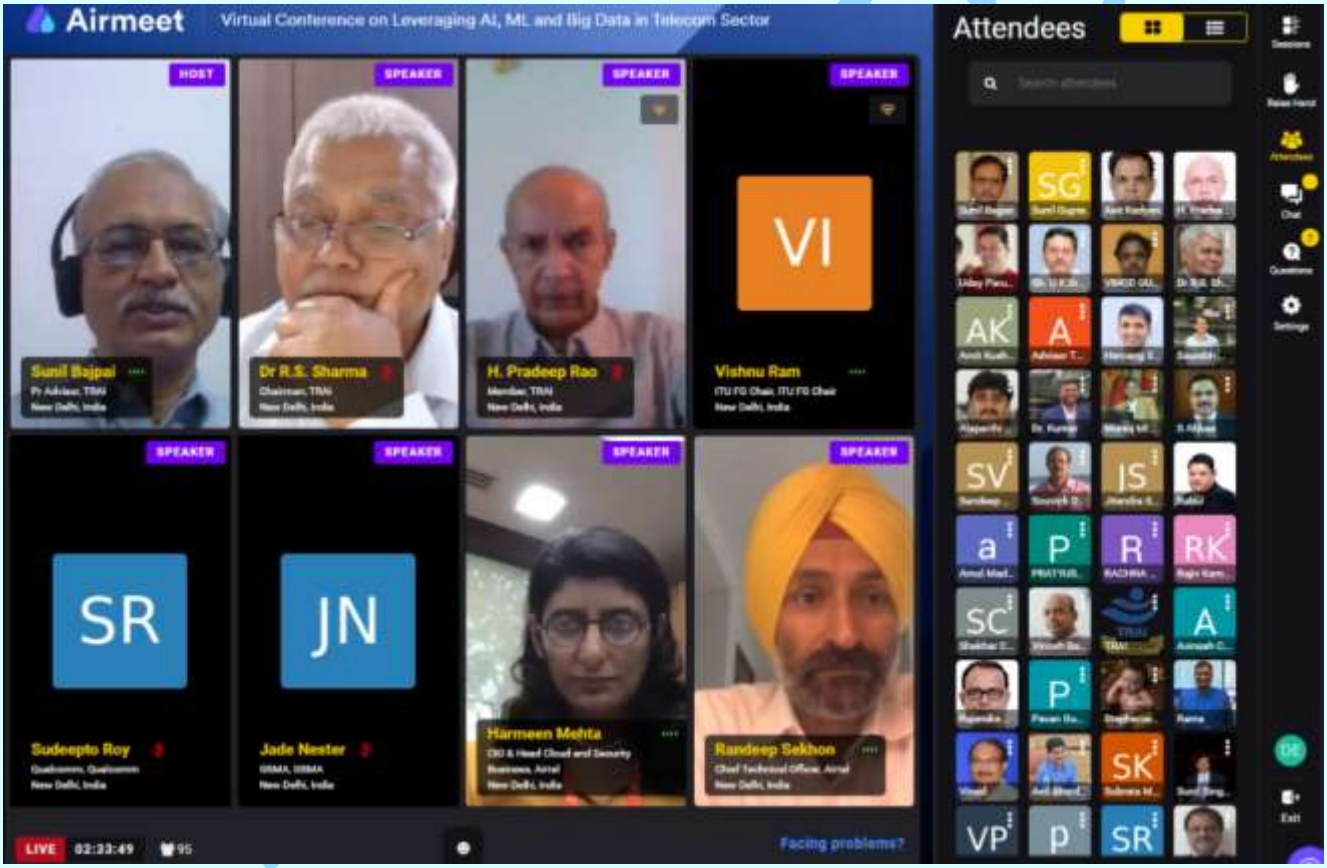

दिनांक 05 और 06 अगस्त को दूरसंचार क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमता, मशीन लर्निंग तथा बिग डाटा का लाभ उठाने के विषय पर प्रमुख वैश्विक विशेषज्ञों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ वर्चुअल कान्फ्रेंस

1. सिफारिशें

1.1 ''स्पेक्ट्रम साझा करने के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत विधि के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार (एसयूसी) लागू करने की पद्धति'' पर दिनांक 17 अगस्त, 2020 की सिफारिशें

दूरसंचार विभाग (दूरसंचार विभाग) ने अपने दिनांक 15 जनवरी, 2020 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ–साथ यह सूचित किया कि दिनांक 24 सितंबर, 2015 को दूरसंचार विभाग द्वारा जारी पहुंच सेवा प्रदाताओं द्वारा 'एक्सेस स्पेक्ट्रम' के बंटवारे के संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि स्पेक्ट्रम के बंटवारे के बाद प्रत्येक लाइसेंसधारी की स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार (एसयूसी) दर में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 05 प्रतिशत की वृद्धि होती है। दूरसंचार विभाग ने यह भी सूचित किया है कि उसे यह अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि स्पेक्ट्रम के बंटवारे के बाद 05 प्रतिशत की वृद्धिशील एसयूसी दर केवल विशेष स्पेक्ट्रम बैंड पर लागू की जानी चाहिए जिसे दो लाइसेंसधारियों के बीच साझा करने की अनुमति दी गई है, न कि लाइसेंसधारियों द्वारा धारित संपूर्ण स्पेक्ट्रम पर लागू होना चाहिए; चूंकि किसी विशेष बैंड में स्पेक्ट्रम साझा करने की अनुमति है। इस पृष्ठभूमि में, दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह निम्नवत पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे (i) कि क्या स्पेक्ट्रम के बंटवारे के मामलों में एसयूसी दर में 05 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि केवल उस विशिष्ट बैंड पर लागू किया जाना चाहिए जिसे साझा किया जा रहा है; अथवा एसयूसी की समग्र भारित औसत दर पर लागू की जानी चाहिए, जो सभी बैंडों से प्राप्त किया गया है, और (ii) भारतीय यथा संशोधित, दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझे जाने वाली कोई भी अन्य सिफारिश।

2. इस संबंध में, ''स्पेक्ट्रम साझा करने के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत विधि के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार (एसयूसी) लागू करने की पद्धति'' पर एक परामर्श पत्र को दिनांक 22 अप्रैल, 2020 को जारी किया गया था जिसमें पृष्ठभूमि जानकारी प्रदान की गई थी और हितधारकों को जानकारी मांगी गई थी। नौ हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त हुई थी। दिनांक 09 जुलाई, 2020 को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया था।

3. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/ जानकारियों और उसके स्वयं के मूल्यांकन के आधार पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 17 अगस्त, 2020, को ''स्पेक्ट्रम साझा करने के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत विधि के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार (एसयूसी) लागू करने की पद्धति'' पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया और सरकार को भेजा। सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:

(i) यह स्पष्ट किया जाता है कि मौजूदा स्पेक्ट्रम–साझा करने के दिशानिर्देशों के अनुसार, एसयूसी की दर पर 0.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि विशिष्ट बैंड में स्पेक्ट्रम होल्डिंग पर लागू होनी चाहिए जिसे साझा किया जा रहा है, न कि लाइसेंसधारक के संपूर्ण स्पेक्ट्रम होल्डिंग (सभी बैंड) पर लागू होनी चाहिए।

(ii) आवश्यकता और वाणिज्यिक आधार पर अपने स्पेक्ट्रम का प्रबंधन करने के लिए टीएसपी को लचीलापन प्रदान करने के लिए, उसमें शामिल टीएसपी द्वारा मौजूदा स्पेक्ट्रम साझा करने की व्यवस्था को समाप्त करने की सूचना के लिए उपयुक्त 'निकास खंड' को स्पेक्ट्रम साझा करने संबंधी दिशानिर्देशों में सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

Newsletter

https://trai.gov.in/sites/default/files/Recommendation_17082020.pdf

2. परामर्श पत्र

2.1 ''विभेदकारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों की 'अनबंडलिंग' को सक्षम बनाने'' के संबंध में दिनांक 20 अगस्त, 2020 का परामर्श पत्र

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने दिनांक 08 मई, 2019 के अपने पत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ–साथ, यह जानकारी प्रदान की कि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018 में, अपने 'प्रोपेल इंडिया' मिशन के तहत, निवेश और नवाचार को उत्प्रेरित करने और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंसिंग और विनियामक व्यवस्था में सुधार के रूप में एक कार्यनीति की परिकल्पना की गई है। विभेदकारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों (जैसे, अवसंरचना, नेटवर्क, सेवाओं और एप्लकेशन परत) को 'अनबंडलिंग' करने में सक्षम करना पूर्व उल्लिखित कार्यनीति को पूरा करने के लिए कार्य योजनाओं में से एक है। दिनांक 08 मई, 2019 के उक्त पत्र के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने अन्य बातों के साथ– साथ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की शर्तों के तहत विभेदक लाइसेंसिंग के माध्यम से अलग–अलग परतों को की 'अनबंडलिंग' करने के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करे।

2. पूर्व में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को ''विभेदकारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों की 'अनबंडलिंग' को सक्षम बनाने'' के संबंध में पूर्व–परामर्श पत्र के माध्यम से लाइसेंस की 'अनबंडलिंग' हेतु व्यापक ढ़ांचे पर हितधारकों से जानकारी मांगी थी।

3. पूर्व–परामर्श पत्र, अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण और आंतरिक विश्लेषण के आधार पर हितधारकों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर दिनांक 20 अगस्त, 2020 को ''विभेदकारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों की 'अनबंडलिंग' को सक्षम बनाने'' विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Consultation_Paper_20082020.pdf

Newsletter

2.2 दिनांक 20 अगस्त, 2020 को दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने ''ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी को बढ़ावा देने हेतु रूपरेखा और बढ़ी हुई ब्रॉडबैंड गति'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

वर्ष 2004 से ही सरकार और प्राधिकरण का ध्यान देश में विश्वसनीय और हाई–स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में वृद्धि करने पर है। वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए पूर्व में अनेक नीतिगत और विनियामक पहल की गई हैं। आईसीटी के क्षेत्र में हो रहे निरंतर विकास से सरकार, प्राधिकरण और टीएसपी पर ब्रॉडबैंड नेटवर्कों की पहुंच और प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए लगातार दबाव पड़ रहा है। उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ती मांग और आशाओं को पूरा करने के लिए प्रयास जारी हैं। ब्रॉडबैंड नेटवर्क की पहुंच और प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए एनडीसीपी–2018 में अनेक कार्यनीतियों की पहचान की गई है। ऐसी कार्यनीतियों को कार्रवाई योग्य बिंदुओं में बदलने की आवश्यकता है।

2. इसके अलावा, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने प्राधिकरण से निम्नवत बिंदुओं पर, यथा संशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क) के अनुसार सिफारिशें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

(क) ''विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग–अलग गति अर्थात् फिक्सड बनाम मोबाइल के लिए अपलोड/ डाउनलोड गति को परिभाषित किया गया;

(ख) यूरोप की भांति ब्रॉडबैंड स्पीड की विभिन्न श्रेणियों जैसे मूलभूत ब्रॉडबैंड, हाई ब्रॉडबैंड और अल्ट्रा– हाई ब्रॉडबैंड आदि को परिभाषित किया जा सकता है; और

(ग) एनडीसीपी– 2018 के 50 एमबीपीएस के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ब्रॉडबैंड की गति को बढ़ाने की रूपरेखा।''

3. दूरसंचार विभाग ने दो अन्य पृथक संदर्भों *''पुनर्ब्रिकी और वर्चुअल नेटवर्क आपरेटरों (वीएनओ) सहित अवसंरचनात्मक सृजन और पहुंच के लिए नवोन्मेषी पद्धतियों को बढ़ावा देना''* और *''नवोन्मेषी और वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का बढ़ावा देना''* के माध्यम से एनडीसीपी– 2018 को कार्यान्वित करने हेतु प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी हैं। दोनों कार्यनीतियां *''कनेक्ट इंडिया : एक सुदृढ़ डिजिटल संचार नेटवर्क तैयार करना''* मिशन का भाग हैं।

4. इस पृष्ठभूमि के साथ, प्राधिकरण का इस परामर्श पत्र के माध्यम से निम्नवत के संबंध में हितधारकों से जानकारी प्राप्त करने की मंशा है (i) फिक्स और मोबाइल ब्रॉडबैंड, (ii) अवसंरचना सृजन के लिए नवोन्मेषी पद्धतियां (iii) ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी को बढ़ावा देना; और (iv) ब्रॉडबैंड गति को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Broadband_CP_20082020.pdf

Newsletter

3. निदेश

3.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सभी प्रसारकों को दिनांक 18 अगस्त, 2020 को जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 के साथ पठित धारा 13 के तहत जारी दिनांक 24 जुलाई, 2020 के निदेश में संशोधन जारी किया था

उपर्युक्त संशोधन के माध्यम से प्राधिकरण, दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 13 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित करता है कि दिनांक 24 जुलाई, 2020 के निदेश में इस सीमा तक संशोधन किया जाता है कि यथा विहित 10 अगस्त, 2020 की तिथि को 26 अगस्त, 2020 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Direction_18082020.pdf

3.2 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने विशिष्ट पोर्टिंग कोड सृजन करने के लिए दस रुपये की न्यूनतम सीमा को लागू करने, भुगतान नहीं किए जाने हेतु सेवा बंद करने के अनुरोध तथा मोबाइल नम्बर की पुनः सेवाएं बहाल करने हेतु दिनांक 27 अगस्त, 2020 को निदेश जारी किए थे

प्राधिकरण ने सातवें संशोधन विनियमों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए यह नोट किया कि भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में सेवाएं बंद करने के अनुरोध को नाममात्र बकाया उदाहरण के लिए 0.8 अथवा 0.5 रुपये के भुगतान की वसूली के लिए किया जा रहा है, जिससे ऐसी अत्यंत न्यून राशि के लिए सब्सक्राइबरों तथा अन्य हितधारकों को असुविधा हा रही है। इस संबंध में प्राधिकरण को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के समर्थन से सीओएआई से ऐसे अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं कि दाता आपरेटर से ऐसी एनपीडी अनुरोध न किए जाएं जहां पोर्ट किए गए सब्सक्राइबर द्वारा भुगतान की जाने वाली बकाया राशि दस रुपये अथवा इससे कम हो, साथ ही एमएनपीएसपी को सकारात्मक प्रतिक्रिया भी भेजी जाए जब प्राप्तकर्ता आपरटर द्वारा पुनः कनेक्शन के अनुरोध किए जाएं, जहां बकाया देय राशि दस रुपये अथवा इससे कम हो। इसलिए, प्राधिकरण को सातवें संशोधन के उपबंधों में जारी किए गए पिछले निदेश को सभी पहुंच सेवा प्रदाताओं को दिनांक 27 अगस्त, 2020 को जारी किए गए निदेशों के अनुकूल बनाना होगा कि:–

(क) एमएनपीएसपी द्वारा बकाया देय राशि के संबंध में प्रश्न के उत्तर में, यदि किसी पोस्ट–पेड सब्सक्राइबर द्वारा पिछले भुगतान किए गए बिल में बकाया राशि दस रुपये अथवा दस से कम रुपये रहती है, जिसे सेवा प्रदाता द्वारा सब्सक्राइबर के आगामी बिल में बिना किसी दंडात्मक प्रभारों के शामिल किया जा सकता है, तो उस स्थिति में यूपीसी सृजन करने के लिए स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए;

(ख) पोर्ट किए गए सब्सक्राइबर से देय बकाया राशि बिना किसी दंडात्मक प्रभारों के दस रुपये अथवा दस से कम रुपये रहने पर मोबाइल नम्बर के लिए एनपीडी अनुरोध नहीं किए जाने चाहिए;

Newsletter

(ग) सब्सक्राइबर द्वारा देय बकाया राशि दस रुपये अथवा दस से कम रुपये रहने पर एमएनपीएसपी से प्राप्त पुनः कनेक्शन के अनुरोध पर प्रदाता आपरेटर की प्रतिक्रिया 'कोई देय राशि लंबित नहीं है' होनी चाहिए;

(घ) जब एमएनपीएसपी द्वारा यूपीसी सृजन करने के लिए मौजूदा संविदागत बाध्यताओं से संबंधित कोई प्रश्न किया जाता है तो यूपीसी सृजन करने के लिए निम्नवत मामले के अलावा, स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए–

(i) निकास खंड वाले संविदागत बाध्यता वाले बंडल किए गए हैंडसेट के साथ पोस्टपेड कनेक्शन और सब्सक्राइबर ने इसका अनुपालन नहीं किया हो; अथवा

(i) संविदागत बाध्यता वाले कारपोरेट कनेक्शन जिनमें निकास खंड हो और सब्सक्राइबर ने इसका अनुपालन नहीं किया हो।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Direction_27082020.pdf

4. खुला मंच चर्चा

5.2 दिनांक 27 अगस्त, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल रोमिंग सेवाओं को विनियमित करने के संबंध में एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 'अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल रोमिंग सेवाओं को विनियमित करने' के संबंध में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 27 अगस्त, 2020 को एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया।

Newsletter

5. संगोष्ठी

5.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 21 अगस्त, 2020 को ''5जी आर्किटेक्चर, उपयोग के मामले तथा सरकारी पहल'' विषय पर एक वेबीनार का आयोजन किया।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 21 अगस्त, 2020 को एयरमीट प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए ''5जी आर्किटेक्चर, उपयोग के मामले तथा सरकारी पहल'' विषय पर एक वेबीनार का आयोजन किया।

वेबीनार का उद्घाटन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सचिव, श्री एस. के. गुप्ता ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के आयोजन करने का उद्देश्य दूरसंचार मुद्दों पर शिक्षित करना और प्रमुख पहलुओं को इस तरीके से उजागर करना है, जिसे उपभोक्ताओं द्वारा आसानी से समझा जा सके और विभिन्न खतरों से खुद को बचाने के लिए उन्हें जागरूक भी किया जा सके।

वेबीनार में विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों अर्थात् ओस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, एस.वी. यूनिवर्सिटी तिरुपति, के.एल. यूनिवर्सिटी, गुंटूर, सी.बी.आई.टी. हैदराबाद, वी.एन.आर. वी.जे.आई.टी. हैदराबाद, बी.वी.आर.आई.टी. हैदराबाद, एस.आई.ई.टी. अमलपुरम से संकाय सदस्य तथा छात्र, दूरसंचार विभाग टी.ई. आर.एम., एन.टी.आई.पी.आर.आई.टी. और बी.बी.एन.एल. तेलंगाना राज्य, के पदाधिकारी, उद्योग संगठनों, उपभोक्ता समर्थक समूहों (सीएजी), दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के संकाय सदस्यों और छात्रों ने

भाग लिया। कार्यक्रम में विशेषरूप से युवा छात्रों व्यापक भागीदारी की गई, जो कार्यक्रम के दौरान आयोजित दिलचस्प चर्चा/ बातचीत से लाभान्वित हुए।

5.2 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 28 अगस्त, 2020 को ''आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) रूझानों, सुरक्षा चुनौतियों और समाधानों'' विषय पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से वेबीनार आयोजित की।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 28 अगस्त, 2020 को ''आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) रूझानों, सुरक्षा चुनौतियों और समाधानों'' विषय पर ऑनलाइन एक वीडियो कान्फ्रेंसिंग आयोजित की। यह वेबीनार ज्ञान अर्जन, वार्तालाप करने, विचारों और दृष्किोण के आदान– प्रदान करने के लिए एक बेहतर अवसर साबित होगा और यह प्रत्येक भागीदार के लिए एक लाभ पहुंचाने का अवसर साबित होगा।

इस वेबीनार का उद्घाटन, आईआईटी भिलाई के निदेशक, डॉ रजत मूना द्वारा किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने विश्व और देश में आईओटी पर प्रकाश डाला। उन्होंने उल्लेख किया की करोड़ों जुड़े हुए उपकरण तथा बेजोड़ मशीन से मशीन संचार, देश में भविष्य की प्रौद्योगिकी की स्थिति में परिवर्तन करने जा रहा है। इस अवसर पर श्री संजीव बैंन्जल, सलाहकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली, मुख्य अतिथि थे, उन्होंने आईओटी उपकरणों तथा दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से एम2एम कनेक्टिविटी के महत्व पर बात की।

लक्षित श्रोताओं में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के वरिष्ठ अधिकारी, अवसंरचना प्रदाता, विभिन्न उद्योग संघों के प्रतिनिधि, उपभोक्ता समर्थक समूह, संकाय सदस्य, विभिन्न इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन संस्थानों से शोध विद्वान और छात्र, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी तथा उपभोक्ता आदि शामिल थे।

6. अन्य जानकारी

6.1 दिनांक 3 जून, 2020 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार सब्सक्रिप्शन के आंकड़े

ब्योरा	वॉयरलेस	वॉयरलाइन	कुल (वॉयरलेस + वॉयरलाइन)
शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सब्सक्राइबर (मिलियन में)	619.11	17.72	636.83
ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सब्सक्राइबर (मिलियन में)	521.60	2.09	523.69
कुल दूरसंचार सब्सक्राइबर (मिलियन में)	1140.71	19.81	1160.52

Newsletter

समग्र दूरसंचार घनत्व (प्रतिशत में)	84.38	1.47	85.85
शहरी सब्सक्रिप्शन की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	54.27 प्रतिशत	89.46 प्रतिशत	54.87 प्रतिशत
ग्रामीण सब्सक्रिप्शन की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	45.73 प्रतिशत	10.54 प्रतिशत	45.13 प्रतिशत
ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबरों की संख्या (मिलियन में)	678.41	19.82	698.23

जून, 2020 में व्यस्ततम वीआरएल की तिथि पर सक्रिय वॉयरलेस सब्सक्राइबरों की संख्या 958 मिलियन रही।

जून, 2020 के माह में मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी के लिए 5.83 मिलियन अनुरोध किए गए। जून, 2020 के अंत तक, कुल 497.04 मिलियन उपभोक्ताओं ने मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी की सुविधा आरंभ होने से लेकर अब तक इसका लाभ उठाया है।

6.2 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 05 और 06 अगस्त, 2020 को दूरसंचार क्षेत्र में एआई, एमएल तथा 'बिग डॉटा' का लाभ उठाने के लिए एक वर्चुअल कान्फ्रेस का आयोजन किया। विश्वभर से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, जीएसएमए, समाधान प्रदताओं, बड़े उपकरण विर्निमाताओं से वक्ताओं ने विषय के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई।

6.3 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 27 अगस्त, 2020 को डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों (डीएएस) की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षाओं के पैनल की एक अद्यतन सूची जारी की।

7. घटनाक्रम

7.1 अगस्त, 2020 के माह के दौरान ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से निम्नवत उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

क्रम संख्या	स्थान	तिथि
1	उत्तर प्रदेश	06 अगस्त, 2020
2	गुजरात	07 अगस्त, 2020

3	पश्चिम बंगाल	19 अगस्त, 2020

Newsletter

फोटो गैलरी

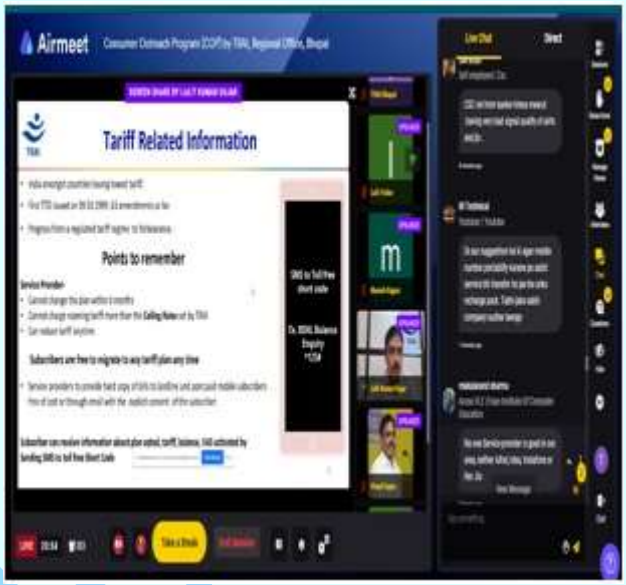

दिनांक 07 अगस्त, 2020 को गुजरात में उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम आयोजित किया गया

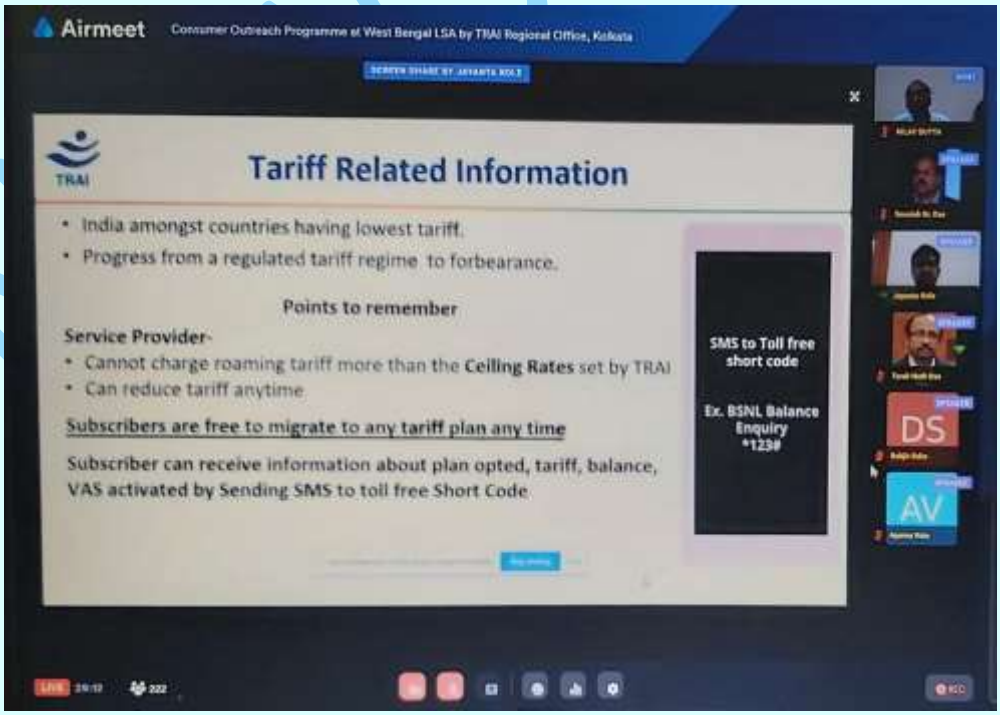

दिनांक 19 अगस्त, 2020 को पश्चिम बंगाल में उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम आयोजित किया गया

डॉ आर. एस. शर्मा, अध्यक्ष, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण तथा श्री एच. प्रदीप राव, सदस्य को दिनांक 30 सितम्बर, 2020 को भादूविप्रा में उनके कार्यकाल की समाप्ति पर विदाई देते हुए

इस न्यूजलैटर में उल्लिखित निदेशों/ आदेशों, परामर्श पत्रों/ रिपोर्टों, सब्सक्रिप्शन संबंधी आंकड़ों आदि का पूर्ण ब्योरा भारतीय दूरसंचार विनियामक आयोग की वेबसाइट ***www.trai.gov.in*** पर उपलब्ध है।

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, (पुराना मिन्टो रोड), नई दिल्ली– 10002

हम फेसबुक पर भी मौजूद हैं ! हमसे जुड़िए !

https://www.facebook.com/TRAI/

हम टिव्टर पर भी मौजूद हैं ! हमसे जुड़िए !

TRAI@TRAI

Newsletter